



N^o 106646

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या... १८

वर्ष २००६-०५

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि "वेसिंग्टन तकनीकी रूप से शिक्षणिक
विकास संस्था" प्रगत कॉलोनी, चार्ड नं० - २२,
फोर्था (बिहार)

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ हुई ।

आज तारीख अक्टूबर मास अक्टूबर वर्ष २००६ को पटना में मेरे हस्ताक्षर के
साथ दिया गया ।

अक्टूबर २००६
१२/१०

निबंधन सभानिरीक्षक, विहार का कार्यालय, बिहार, पटना ।

(दाखिल करने का प्रमाण-पत्र)

श्रीमान् श्री तन्मय शर्मा एवं
श्रीमान् श्री विनोद शर्मा

क संवध में ।

पटना, दिनांक 13/10/2006

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित आलेख्य सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के उपबंधों के अनुसार आज यथावत दाखिल/निबंधित/अभिलिखित किया गया/किये गये ।

फीस का जाप - 50 - (पचास) रुपये केवल ।

संस्था का स्मृति-पत्र/नियमावली एवं आम सभा के प्रस्ताव की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ।

वास्ते - महानिरीक्षक निबंधन, विहार,

पटना

श्रीमान् श्री तन्मय शर्मा एवं श्रीमान् श्री विनोद शर्मा
प्रभात कॉलोनी, वाई नो-22
शुर्गिया (बिहार)

की सेवा में उनके पत्र संख्या २००६ दिनांक २०/१०/०६ के प्रसंग में
अग्रसारित ।

निबंधन प्रमाण-पत्र सलग्न है । पालन की सूचना दे ।

वास्ते - महानिरीक्षक निबंधन, विहार,

पटना

निबंधन विभाग

नया सचिवालय

बिहार, पटना ।

पत्र संख्या-बीएसए 3 - 10223/2006-1112/
11/11/2006

बिहार सरकार
निबंधन विभाग ।

प्रति,

संघसूचक निबंधन महानिरीक्षण,
निबंधन विभाग,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

~~संघसूचक निबंधन महानिरीक्षण/संघसूचक निबंधन महानिरीक्षण/संघसूचक निबंधन महानिरीक्षण~~
संघसूचक निबंधन महानिरीक्षण/संघसूचक निबंधन महानिरीक्षण/संघसूचक निबंधन महानिरीक्षण
प्रधान निबंधन, पटि - नं० - ३३
बिहार सरकार

ग्राम - - - - - पोस्ट - - - - -

थाना - - - - - जिला - - - - -

विषय:- संघसूचक निबंधन महानिरीक्षण/संघसूचक निबंधन महानिरीक्षण/संघसूचक निबंधन महानिरीक्षण

महानिरीक्षण,

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित संस्था को सृष्टि-पत्र/नियमावली/अन्य
संस्था को प्रस्ताव एवं प्रमाण-पत्र को अभिप्रेषणा प्राप्त प्रतिलिपि निरूपित की जाती है ।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय ।

विश्वासभाजन
१५/११/०६
11/11/06
संघसूचक निबंधन महानिरीक्षण,
निबंधन विभाग, बिहार, पटना ।

- 1॥ संस्था का नाम : इस संस्था का नाम " 7-सीमांचल तकनीकी एवं प्रौद्योगिक विकास संस्था " होगा ।
- 2॥ निबंधित कार्यालय : इस संस्था का निबंधित कार्यालय-
प्रभात कॉलोनी, वार्ड नं०-22,
परिया ॥बिहार॥ में रहेगा ।
- स्थान परिवर्तन की सूचना निबंधन विभाग एवं
अन्य संबंधित विभाग के संबंधित पदाधिकारियों को
15 दिन पूर्व दे दी जायेगी ।
- 3॥ कार्यक्षेत्र : इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा ।

4॥ उद्देश्य :

इस संस्था के निम्नांकित मुख्य उद्देश्य होंगे :-

- क॥ संस्था के द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए व्यापार शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, तकनीकी एवं गैर तकनीकी शिक्षा, पारामेडिकल एवं लैब टेनिशियन शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा एवं नेत्रहीन शिक्षा का प्रचार-प्रसार एवं संचालन करना ।
- ख॥ महिलाओं एवं पुरुषों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, लघु उद्योग, गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, गिलाई-कटाई, कम्प्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, टाईपिंग का प्रशिक्षण दिलाने का प्रयास करना ।
- ग॥ स्वास्थ्य हेतु नीर्सिंग होम, चलन्त दावाखाना की व्यवस्था करना, कैंसर, कुष्ठ तथा अन्य घातक बिमारियों के संबंध में उपयोगी ज्ञान का प्रसार एवं उपचार का प्रबंध करना । मातृ एवं शिशु कल्याण शिविर, परिवार कल्याण शिविर तथा अन्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना ।
- घ॥ लोगों को उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण, मानवाधिकार के संबंध में जानकारी देना तथा देश से महिला उत्पीड़न, बालश्रीमक, बालविवाह, बंधुआ मजदूरी, मजदूर पलायन को रोकने हेतु कार्य करना ।
- ङ॥ लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा स्वच्छ पेयजल, गुलम शौचालय, कुंआ, नलकुप, कृषि हेतु खाद, बीज, कीटनाशक दवायें एवं अन्य आधुनिक कृषक औजार उपलब्ध कराने हेतु कार्य करेगी ।
- च॥ पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु वृक्षारोपन कार्यक्रम को संचालित करेगी ।

मिलन कृष्ण
-12/

10/11/86.

प॥

cut

Uday Shankar P. Singh

जिनका व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, एवं पद नीचे दिया गया है, इस संस्था के स्मृति पत्र के अनुसार कार्यशील स्त्री समिति के सदस्य हैं।
 जिनमें प्रबंधन का भार सौंपा गया है।

नाम, पिता/पति का नाम	पता	वैयक्तिक योग्यता	जीविकोपार्जन का साधन	पद
1. श्री उदय शंकर प्रसाद सिंह पिता-श्री जयजयराम सिंह	मु. प्रभात कोलोनी, पो. एवं जिला-पूर्णिमा ।	समयकर्म	निजी शिक्षण कार्य	अध्यक्ष
2. श्री मनोज कुमार पिता-श्री कामेश्वर पौदार	ग्राम एवं पो. बरेटा, जिला- कटिहार ।	बी. ए. प्रतिष्ठा	" "	उपाध्यक्ष
3. सुश्री सीमा कुमारी पिता-माधेन्द्र नारायण चौधरी	मु. अमलाटोला, पो. मधुबनी, जिला- पूर्णिमा ।	" "	" "	सचिव
4. श्री संजय कुमार सिंह पिता-स्व. राम प्रसाद सिंह	ग्राम- गैरल, पो. संझाघाट, जिला- पूर्णिमा ।	समयकर्म	" "	उपसचिव
5. श्री मीरा चौधरी पिता-स्व. कपिलदेव प्र. सिंह	मु. अमला टोला, पो. मधुबनी, जिला- पूर्णिमा ।	आई. एस. सी. गृहिणी	" "	कोषाध्यक्ष
6. श्री मनोज कुमार सिंह पिता-श्री माधव प्र. सिंह	मु. मैथिल टोला पो. मधुबनी, जिला- पूर्णिमा ।	समयकर्म	निजी शिक्षण कार्य	सदस्य
7. श्री मुमताज आलम पिता-मो. शमशाद आलम	मु. लाईन बाजार, पो. पूर्णिमा, जिला- पूर्णिमा ।	समयकर्म	" "	सदस्य
8. श्री भुवनेश्वर मोदी पिता-स्व. कोकाय मोदी	मु. प्रभात कोलोनी, पो. जिला- पूर्णिमा ।	बी. एस. सी.	निजी चिकित्सक	सदस्य
9. श्री शत्रुघ्न पासवान पिता-श्री निर्मल कु. पासवान	ग्राम + पो. चम्पावती, जिला- पूर्णिमा ।	समयकर्म	कृषक	सदस्य

मिलान मिश्रा
-सचिव
10/11/88.

अ

हस्ताक्षर

- 26216 5637
11112000

की
नियमावली

1॥ संस्था का नाम : " सीमांचल तकनीकी एवं शैक्षणिक विकास संस्था "

2॥ परिभाषा :

- क॥ संस्था से अभिप्राय है : "सीमांचल तकनीकी एवं शैक्षणिक विकास संस्था "
ख॥ समिति से अभिप्राय है : संस्था की कार्यकारिणी समिति ।
ग॥ पदा० से अभिप्राय है : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव एवं कोषाध्यक्ष ।
घ॥ वर्ष से अभिप्राय है : पहली अप्रैल से 31 मार्च तक ।
ङ॥ एक्ट से अभिप्राय है : सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21/1960

3॥ सदस्यता :

कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के होंगे और जो संस्था के उद्देश्य एवं नियमों का पालन निष्ठापूर्वक करेंगे, संस्था का सदस्य बन सकेंगे । सदस्य बनने के लिए आवेदन पत्र देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा की जायेगी, प्रत्येक सदस्य को 21/- रुपया प्रवेश शुल्क एवं 11/- रुपया मासिक सदस्यता शुल्क देना अनिवार्य होगा ।

4॥ सदस्यता की समाप्ति :

- क॥ स्वयं त्याग पत्र देने पर ।
ख॥ संस्था के नियमों का उल्लंघन करने पर ।
ग॥ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ।
घ॥ मृत्यु या पागल होने पर ।
ङ॥ न्यायालय द्वारा फौजदारी मुकदमों में दंडित किये जाने पर ।
च॥ बिना कारण बताये लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर ।
छ॥ सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।

5॥ कार्यकारिणी समिति का गठन :

क॥ समिति की व्यवस्था कार्यकारिणी समिति करेगी, जिसमें पदाधिकारी सहित -9 सदस्य होंगे ।

ख॥ समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा । निवृत्त सदस्य पुनः निर्वाचित किये जा सकते हैं ।

मिलान बिजु
-लि
10/11/86.

३

Uday Shankar Pd. Singh

सदस्य को मनोनीत कर सकती है परन्तु वार्षिक बैठक या आमसभा में नियमानुसार चुनाव करा लेना होगा ।

68 कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :

- क॥ सदस्यता के लिए प्रस्तावित आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना ।
- ख॥ संस्था के नीति निर्धारण एवं दैनिक कार्य सम्पादन पर विचार करना ।
- ग॥ संस्था के लिए कार्यालय प्रभारी मनोनीत करना तथा आवश्यकतानुसार चैतनिक या अवैतनिक कार्यकर्ता को नियुक्त करना ।

घ॥ संस्था के चल एवं अचल संपत्ति का उत्तरदायित्व होना ।

71 पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :

अध्यक्ष :

- क॥ प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।
- ख॥ असाधारण बैठक के लिए आदेश निर्गत करना ।
- ग॥ बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन करना ।
- घ॥ बैठक में विचारणीय विषयों का विभिन्न मनों की स्वीकृति देना ।
- ङ॥ कार्यसमिति की बैठक में अनिर्णित प्रसंगों पर या जिसपर बहुमत पर मतभेद/विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, संस्था के हित को ध्यान में रखते हुए स्वविवेक से निर्णय देना ।

उपाध्यक्ष :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके सारे कार्यों एवं अधिकारों का प्रयोग करना ।

सचिव :

- क॥ आमसभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाना ।
- ख॥ स्वीकृत एवं अनुमोदित कार्यक्रमों को तैयार करना/कार्यान्वित करना ।
- ग॥ संस्था के समस्त अभिलेखों का निर्वहण करना ।
- घ॥ सदस्यों की सूची तैयार करना ।
- ङ॥ आय-व्यय का देख-रेख करना ।
- च॥ संस्था के कार्यों को सम्पादन के लिए संबंधित व्यक्तियों/पदाधिकारियों से सम्पर्क करना ।

उपसचिव :

सचिव की अनुपस्थिति में उनके सारे कार्यों एवं अधिकारों का निर्वहन करना ।

oday shankar Pat. Singh

मिनाश्री
-मिना
11/11/2020

अ संस्था के आय-व्यय का लेखा-बोझा रखना ।

ख संस्था के आय-व्यय का ब्योरा तैयार करना एवं उसे सचिव द्वारा बैठक में प्रस्तुत करना ।

ग संस्था के सामग्रियों को सचिव की राय से व्यविक्रय करना ।

घ सदस्यों/गैर सदस्यों से संस्था के नाम पर मिलने वाली राशि को पंजी में अंकित करना ।

च संस्था के आय-व्यय का अंकन कराना ।

छ आकस्मिक खर्च के लिए अपने पास 5000/- रुपये तक की राशि रखना, जिसे खर्चोपरान्त अगली बैठक में इसका अनुमोदन करा लेना ।

8. आय का साधन :

क सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क ।

ख सदस्य या किसी व्यक्ति से दान, अनुदान एवं अंशदान ।

ग सांस्कृतिक कार्यक्रम से ।

घ संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं के क्रय-विक्रय से ।

च सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं के अनुदान, अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त कर ।

9. कोष का संचालन:

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीय बैंक या डाकघर में संस्था के नाम जमा की जायेगी, जिसका संचालन अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा ।

10. आम्सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :

क संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।

ख संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना ।

ग अध्यक्ष की नियुक्ति करना ।

घ अध्यक्ष की राय से अन्य विषय पर विचार करना ।

11. कोरम :

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा । कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।

मिलन मिश्रा
10/11/88.

अ

Uday Shankar P.D. Singh

- अ कार्यकारणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी ।
 छ आमसभा की साधारण बैठक प्रत्येक वर्ष अग्रेष्ठ माह में होगी ।
 ग कार्यकारणी समिति की आवश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है ।
 घ आमसभा की विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है ।

13] पारिषद बैठक :

3/5 सदस्यों की लिखित मांग पर आवेदन प्राप्त के एक माह के अन्दर सचिव को बैठक बुलाना होगा । आवेदन पत्र में विचारणीय विषय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । अगर सचिव उक्त अधि के अन्दर बैठक नहीं बुलाते हैं तो आवेदकों को अधिकार होगा कि आवेदन में उल्लिखित विषय के निर्णय हेतु उक्त अधि के उपरान्त बैठक का आयोजन कर सकें हैं ।

14] बैठक की सूचना :

- क कार्यकारणी समिति की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जायेगी ।
 छ आमसभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी ।
 ग आमसभा की आवश्यक बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जायेगी ।
 घ कार्यकारणी समिति की आवश्यक बैठक की सूचना 48 घंटे पूर्व दी जायेगी ।
 ङ बैठक की सूचना-सूचनापत्र में हस्ताक्षर कर डाक या विशेष दूत द्वारा दी जायेगी ।

15] निधि का अक्षेप :

- क संस्था की आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जायेगा तथा आमसभा द्वारा नियुक्त अक्षेप से प्रतिवर्ष अक्षेप कराया जायेगा ।
 छ निबंधन महानिरीक्षक, बिहार अपने विवेक से जब भी चाहें संस्था का अक्षेप किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करा सकते हैं । इस अक्षेप हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जायेगा ।

16] पंजी का निरीक्षण :

संस्था के सभी पंजियां संस्था के निबंधन कार्यालय में रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्यपंजी, लेखापंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं ।

17] नियमावली में संशोधन :

नियमावली में कोई भी संशोधन आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा पारित करने पर ही किया जायेगा ।

Uday Shankar P.D. Singh

मिनत बिना
 10/11/06

air

18] जनूनी जर्नवाई :

संस्था पर या संस्था के द्वारा जनूनी जर्नवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति की राय से की जायेगी ।

19] विघटन :

क] संस्था का विघटन अगर किसी कारणवश करना पड़े तो आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा ।

ख] विघटन के उपरान्त कृषि इत्यादि भुगतान के बाद जो चल या अवल सम्पत्ति बचेगी वह किसी अन्य सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी, बल्कि आमसभा के 3/5 सदस्यों की सहमति से किसी समान उद्देश्यवाली दूसरी संस्था या सरकार को दे दी जायेगी ।

ग] विघटन के संबंध में यह संस्था निर्बंधन अधिनियम 21/1860 की धारा-13 का पूर्णतः पूर्णतः अनुपालन करेगी ।

-----x-----

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सत्यप्रति है ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह मूल प्रति की हु-ब-हु प्रति है ।

Uday Shankar P. Singh
अध्यक्ष

मीरा चौधरी
कोषाध्यक्ष

शीमा कुमारी
सचिव ।

मिलन कौशिक
-गैर
10/11/88.

हस्ताक्षर 6193V
11/11/2008

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

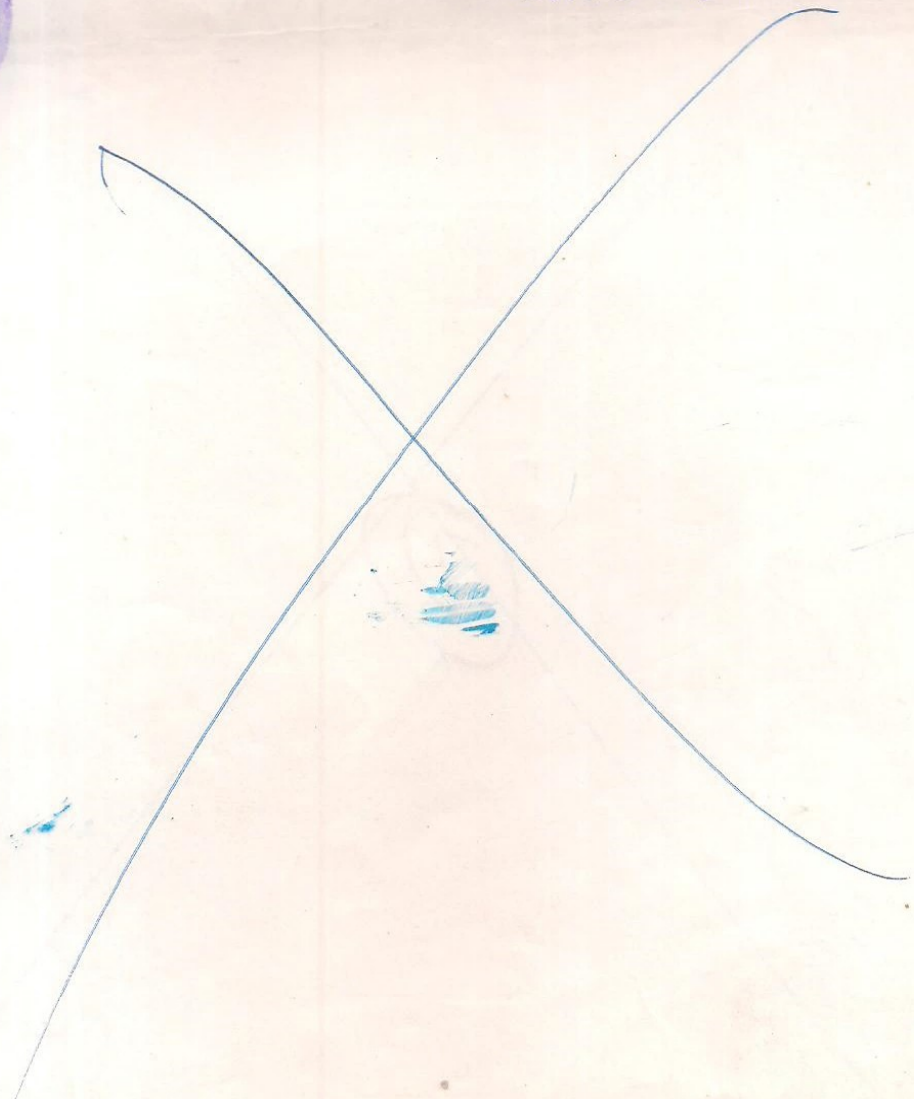
TWENTY
RUPEES



INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

२०/११/२०१८ दिनांक २०/११/२०१८ को
मेरा का नाम एवं पता सोनिया चरण त वली की रेवडी भो. बिहार
ओम प्रकाश पं०, सुप्रीम कोर्ट
फाइनल-५७१९० समाहरणालय, पटना



बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

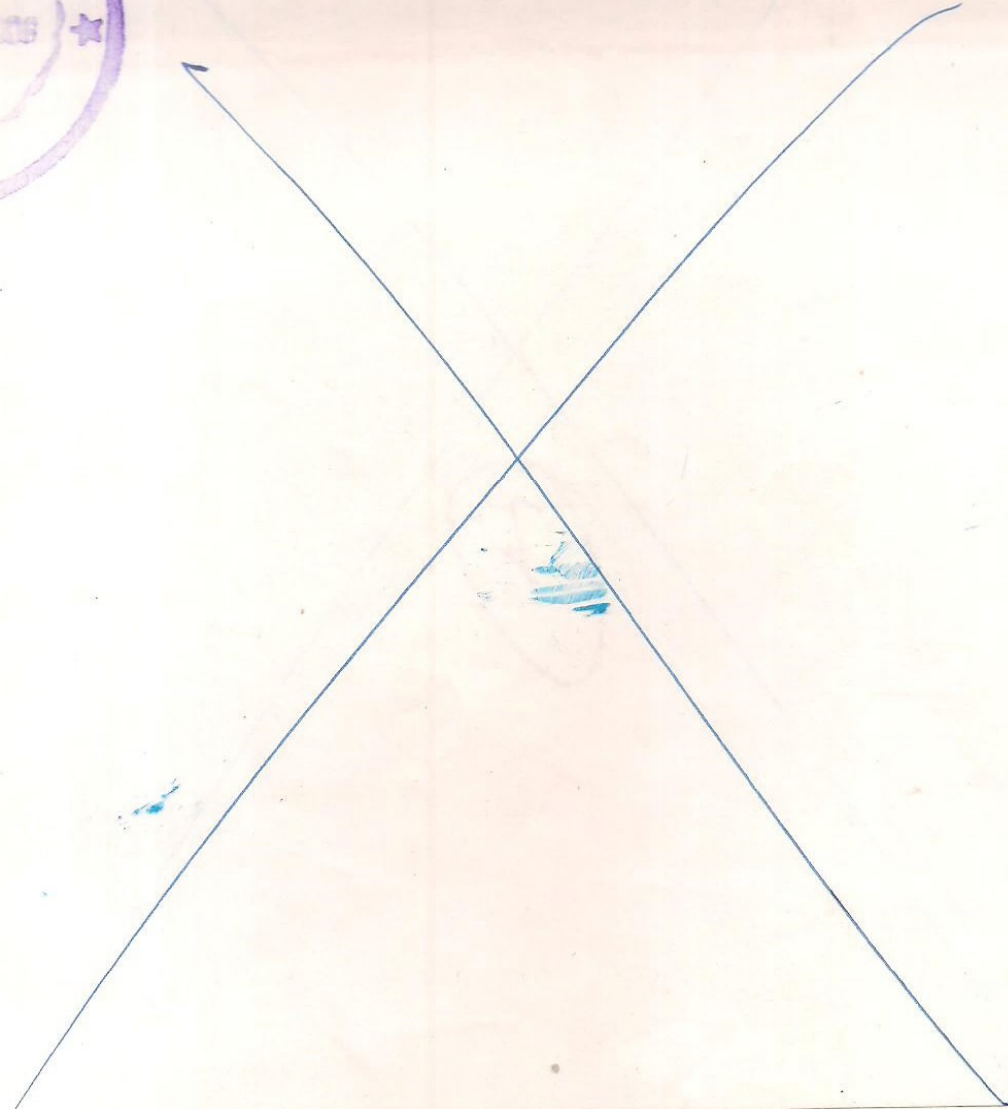
INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

सह. नं. १९७८/१९७९ दि. १९/०९/८९
बेता का नाम एवं पता

ओम प्रकाश प्र०, मुदांत, बिहना, पिनकोडा
ला० नं०-५७/९० समाहरणालय, पट्टा



दो
रुपये



सत्यमेव जयते

दो
रुपये

TWO RUPEES

भारत

TWO RUPEES

1 SEP 2008

निर्देशित

केता का नाम एवं मूल्य

ओम प्रकाश शर्मा, मुद्रांक विक्रेता

ला0न0-57/90 समाहरणालय, पटना

दो
रुपये



सत्यमेव जयते

दो
रुपये

TWO RUPEES भारत TWO RUPEES



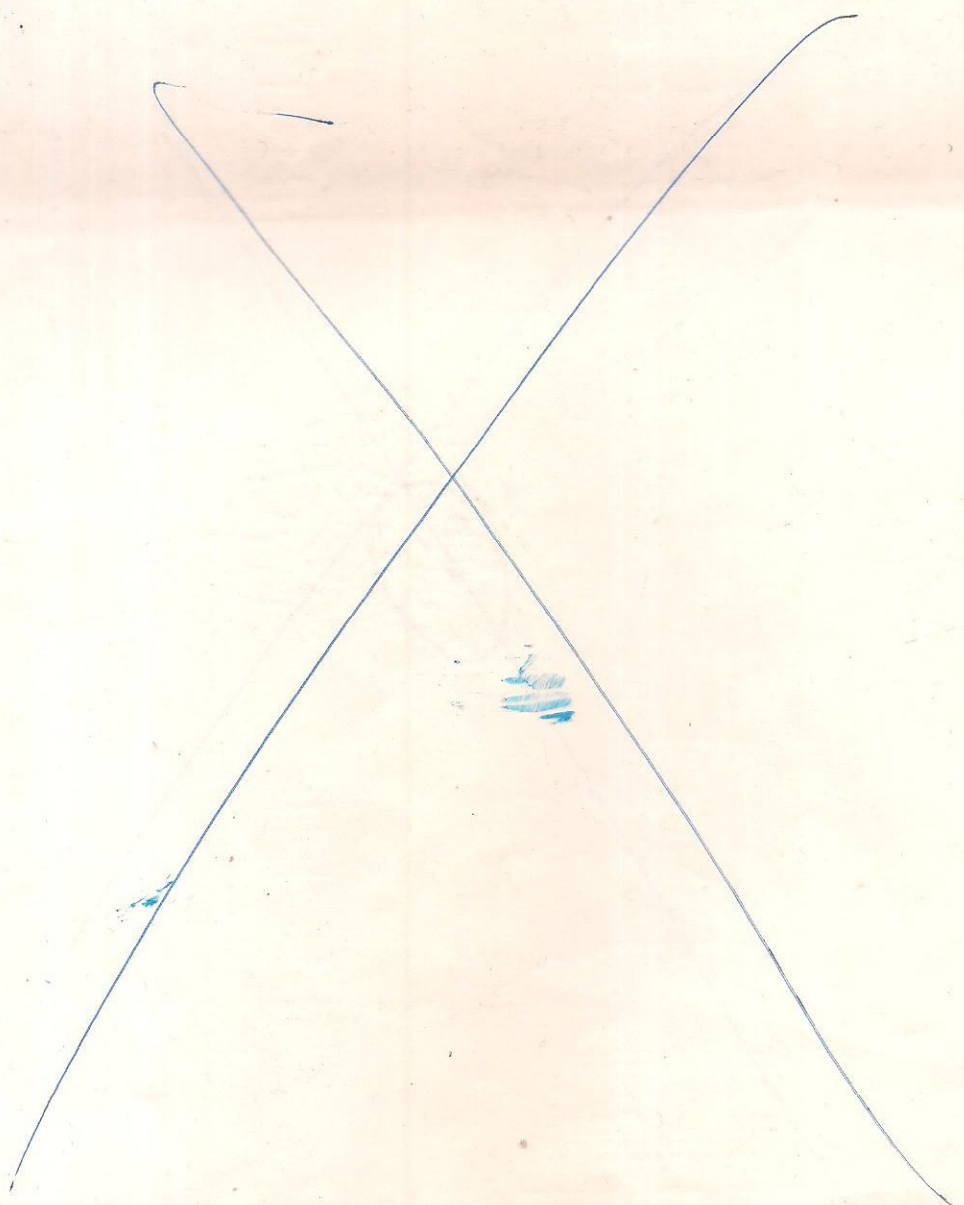
दिनांक १९/०९/०८
केस का नं० ५३३३

ओम प्रकाश प्र०, मुद्रालय लिफ्टा
ला०न०-५७/९० समाहरणालय, पटना



२४/०८/०८ दिनांक २४/०८/०८ वास्ते सीट सं०
केता का ना एने एने

ओम प्रकाश प्र०, मुद्रांक बिक्रेता
ला०न०-५७/९० समाहरणालय, पट

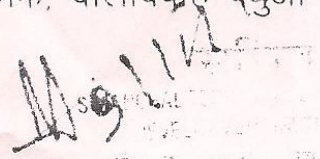


“सीमांचल तकनीकी एवं शैक्षणिक विकास संस्था”

(SEEMANCHAL TECHNICAL & EDUCATIONAL DEVELOPMENT INSTITUTION)

का संशोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम इस संस्था का नाम “सीमांचल तकनीकी एवं शैक्षणिक विकास संस्था” (SEEMANCHAL TECHNICAL & EDUCATIONAL DEVELOPMENT INSTITUTION) होगा।
2. निबंधित कार्यालय इस संस्था का निबंधित कार्यालय— प्रभात कॉलोनी, वार्ड नं०-22, जिला—पूर्णिमा (बिहार) में रहेगा। स्थान परिवर्तन की सूचना निबंधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग के संबंधित पदाधिकारियों को 15 दिन पूर्व दे दी जायेगी।
3. कार्यक्षेत्र इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा।
4. उद्देश्य
 - क) संस्था के द्वारा शिक्षा के प्रचार—प्रसार के लिए व्यापार शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा तकनीकी एवं गृह तकनीकी शिक्षा, पारामेडिकल एवं लैब टेक्नीशियन शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा एवं नैतिक शिक्षा का प्रचार—प्रसार एवं संचालन करना।
 - ख) महिलाओं एवं पुरुषों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र लघु उद्योग, गृह उद्योग, तीर उद्योग, सिलाई—कटाई, कम्प्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक टाईपिंग का प्रशिक्षण दिलाने का प्रयास करना।
 - ग) स्वास्थ्य हेतु नर्सिंग शिविर, चलन्त दावाखाना की व्यवस्था करना, कैंसर, कुष्ठ तथा अन्य घातक बिमारियों के संबंध में उपयोगी ज्ञान का प्रसार एवं उपचार का प्रबंध करना। मातृ एवं शिशु कल्याण शिविर, परिवार कल्याण शिविर तथा अन्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना।
 - घ) लोगों को उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण, मानवाधिकार के संबंध में जानकारी देना तथा देश से महिला उत्पीड़न, बालश्रमिक, बालविवाह रद्द आदि अन्यायपूर्ण प्रथाओं को रोकने हेतु कार्य करना।


SEEMANCHAL TECHNICAL & EDUCATIONAL DEVELOPMENT INSTITUTION

पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम को संचालित करेगी।

ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत मंत्रालयों, सरकारी अभिकरणों तकनीकी संस्थाओं एवं स्वोच्छक अभिकरणों के बीच अंतःक्रिया का संवर्धन करने के लिए जागरूकता कैंम्पों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों एवं परामर्श का आयोजन करना।

ग्रामीण एवं कृषि विकास के क्षेत्र में किसानों, ग्रामीणों में जल संययन, सिंचाई, उन्नत बीज, कम्पोस्ट पुर्ननिर्माण औषधिय एवं संगधिय पादपों की खेती एवं प्रसंस्करण, खाध्य प्रसंस्करण, अद्यतन कृषि प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता पैदा करना एवं क्रियान्वित करने में सहयोग प्रदान करना।

वृद्ध व्यक्तियों के देखभाल हेतू दिवा एवं रात्री केन्द्रों का संचालन करना।

Handwritten signature

सचिव
SIMANCHAL TECHNICAL EDUCATION & RESEARCH
DEVELOPMENT INSTITUTION
सोमनाथल तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी
विकास संस्था प्रा.प्र.
गुजरात - 395 001

जाया जिसपर सदस्या न आपस में विचार

पारित किया गया। जो इस प्रकार है।

क्रमांक	नाम, पिता	पति का नाम	पता	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	पद
1.	श्री प्रदीप कुमार रावर्ट	श्री प्रदीप कुमार रावर्ट	द्वारा-सत्यम न सहाय	"स्नातक"	शिक्षण	अध्यक्ष
	पिता-स्व० चरण दास	पिता-स्व० चरण दास	नवरतन हा	(बोटनी)	कार्य	
			जिला-पूर्ण			
2.	श्री मनोज कुमार	श्री मनोज कुमार	ग्राम एवं प बरेटा,	बी०ए०	" "	उपाध्यक्ष
	पिता-श्री कामेश्वर पोद्दार	पिता-श्री कामेश्वर पोद्दार	जिला-कटि	(प्रतिष्ठा)		
3.	श्री उदय शंकर प्रसाद सिंह	श्री उदय शंकर प्रसाद सिंह	मु० प्रभात लोनी	एम०कॉम	शिक्षण कार्य	सचिव
	पिता-श्री जयजयराम सिंह	पिता-श्री जयजयराम सिंह	पो०+जिला			
4.	श्री रत्नेश कुमार झा	श्री रत्नेश कुमार झा	मु०-रामबा	" "	" "	उप सचिव
	पिता-स्व० देवेन्द्र झा	पिता-स्व० देवेन्द्र झा	जिला-पूर्ण			
5.	श्रीमति श्वेता कुमारी	श्रीमति श्वेता कुमारी	मु०-अमा	स्नातक	" "	कोषाध्यक्ष
	पति-श्री सूरज चौधरी	पति-श्री सूरज चौधरी	पो०-मधुबन			
			जिला-पूर्ण			
6.	डा० छोटे लाल बहरदार	डा० छोटे लाल बहरदार	मु०-ततवा	" "	" "	सदस्य
	पिता-स्व० शान्ति बहरदार	पिता-स्व० शान्ति बहरदार	पो०-भदठा			
			जिला-पूर्ण			
7.	मो० मुमताज आलम	मो० मुमताज आलम	मु०-लाईन	एम०ए०	" "	सदस्य
	पिता-मो० शमशाद आलम	पिता-मो० शमशाद आलम	पो०+जिला			
8.	श्री भूवनेश्वर मोदी	श्री भूवनेश्वर मोदी	मु०-प्रभात	बी.एससी.	निजी	सदस्य
	पिता-स्व० कोकाय मोदी	पिता-स्व० कोकाय मोदी	पो०+जिला			
9.	श्री मनोज कुमार	श्री मनोज कुमार	ग्राम-बादव	बी.एससी.	अभियंता	सदस्य
	पिता-स्व० विन्देश्वरी प्र०	पिता-स्व० विन्देश्वरी प्र०	पो०-शानिग्र			
	यादव	यादव	जिला-बागम			

6/11
M97

माधन, एवं पद नीचे दिया गया है, इस संस्था के स्मृति पत्र के अनुसार कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं जिनपर प्रबंधन का भार सौंपा गया है।

क्रमिक नाम, पिता	पता	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	पद
पति का नाम				
1. श्री प्रदीप कुमार रावर्ट पिता-स्व० चरण दास	द्वारा-सत्यभामा सहाय नवरतन हाता, जिला-पूर्णिया	"स्नातक" (बोटनी)	शिक्षण कार्य	अध्यक्ष
2. श्री मनोज कुमार पिता-श्री कामेश्वर पोद्दार	ग्राम एवं पो० बरेटा, जिला-कटिहार।	बी०ए० (प्रतिष्ठा)	" "	उपाध्यक्ष
3. श्री उदय शंकर प्रसाद सिंह पिता-श्री जयजयराम सिंह	मु० प्रभात कोलोनी पो०+जिला-पूर्णिया।	एम०कॉम	शिक्षण कार्य	सचिव
4. श्री रत्नेश कुमार झा पिता स्व० देवेन्द्र झा	मु०-रामबाग, पो०-पूर्णिया जिला-पूर्णिया।	" "	" "	उप सचिव
5. श्रीमति श्वेता कुमारी पिता श्री सूरज चौधरी	मु०-अमलाटोला पो०-मधुबनी, जिला-पूर्णिया।	स्नातक	" "	कोषाध्यक्ष
6. डा० छोटे लाल बहरदार पिता-स्व० शान्ति बहरदार	मु०-ततवां टोली पो०-भट्ठा बाजार, जिला-पूर्णिया।	" "	" "	सदस्य
7. मो० मुमताज आलम पिता-मो० शमशाद आलम	मु०-लाईन बाजार, पो०+जिला-पूर्णिया,	एम०ए०	" "	सदस्य
8. श्री भूवनेश्वर मोदी पिता-स्व० कोकाय मोदी	मु०-प्रभात कॉलोनी, पो०+जिला-पूर्णिया	बी.एससी.	निजी कार्य	सदस्य
9. श्री मनोज कुमार पिता-स्व० विन्देश्वरी प्र० यादव	ग्राम-बाबूबरही पो०-शालिग्रामी, जिला-बेगूसराय।	बी.एससी.	अभियंता	सदस्य

प्रमाणित किया जाता है कि यह संशोधित स्मृतिपत्र की सच्ची प्रति है।

श्वेता कुमारी

कोषाध्यक्ष

सचिव

सचिव

की संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : "सीमांचल तकनीकी एवं शैक्षणिक विकास संस्था"

(SEEMANCHAL TECHNICAL & EDUCATIONAL DEVELOPMENT
INSTITUTION)

2. परिभाषा :

- क) संस्था से अभिप्राय है : "सीमांचल तकनीकी एवं शैक्षणिक विकास संस्था"
ख) समिति से अभिप्राय है : संस्था की कार्यकारिणी समिति।
ग) पदा० से अभिप्राय है : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव एवं कोषाध्यक्ष
घ) वर्ष से अभिप्राय है : पहली अप्रील से 31 मार्च तक।
ड०) एक्ट से अभिप्राय है : सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21/1860

3. सदस्यता :-

कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के होंगे और जो संस्था के उद्देश्य एवं नियमों का पालन निष्ठापूर्वक करेंगे, संस्था का सदस्य बन सकेंगे। सदस्य बनने के लिए आवेदन पत्र देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा की जायेगी, प्रत्येक सदस्य 21/- रूपया प्रवेश शुल्क एवं 11/- रूपया मासिक सदस्यता शुल्क देना अनिवार्य होगा।

4. सदस्यता की समाप्ति :

- क) स्वयं त्याग पत्र देने पर।
ख) संस्था के नियमों का उल्लंघन करने पर।
ग) अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
घ) मृत्यु या पागल होने पर।
ड.) न्यायालय द्वारा फौजदारी मुकदमों में दंडित किये जाने पर।
व) बिना कारण बताये लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
छ) सदस्यता शुल्क नहीं देने पर।

11/11/21
SEEMANCHAL TECH
DEVELOPMENT

क) समिति की व्यवस्था कार्यकारिणी समिति करेगी, जिसमें पदाधिकारी सहित 9 सदस्य होंगे।

ख) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। निवृत्त सदस्य पुनः निर्वाचित किये जा सकते हैं।

ग) समिति में कोई पद रिक्त होने पर उक्त पद पर शेष अवधि के लिए किसी अन्य सदस्य को मनोनीत कर सकती है परन्तु वार्षिक बैठक या आम सभा में नियमानुसार चुनाव करा लेना होगा।

6. कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :

क) सदस्यता के लिए प्रस्तावित आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना।

ख) संस्था के नीति निर्धारण एवं दैनिक कार्य सम्पादन पर विचार करना।

ग) संस्था के लिए कार्यालय प्रभारी मनोनीत करना तथा आवश्यकतानुसार वैतनिक या अवैतनिक कार्यकर्ता को नियुक्त करना।

घ) संस्था के चल एवं अचल सम्पत्ति का उत्तरदायित्व होना।

7. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :

अध्यक्ष :

क) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना।

ख) असाधारण बैठक के लिए आदेश निर्गत करना।

ग) बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन करना।

घ) बैठक में विचारणीय विषयों का विभिन्न मदों की स्वीकृति देना।

ड0) कार्यसमिति की बैठक में अनिर्णित प्रसंगों पर या जिसपर बहुमत पर मतभेद / विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, संस्था के हित को ध्यान में रखते हुए स्वविवेक से निर्णय देना।

उपाध्यक्ष :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके सारे कार्यों एवं अधिकारों का प्रयोग करना।

सचिव

क) आमसभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाना।

ख) स्वीकृत एवं अनुमोदित कार्यक्रमों को तैयार करना / कार्यान्वित करना।

- 4) सदस्यों की सूची तैयार करना।
- 5) आय-व्यय का देख-रेख करना।
- 6) संस्था के कार्यों को सम्पादन के लिए संबंधित व्यक्तियों / पदाधिकारियों से सम्पर्क करना।

उपसचिव :

सचिव की अनुपस्थिति में उनके सारे कार्यों एवं अधिकारों का निर्वाह करना।

कोषाध्यक्ष :

- क) संस्था के आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना।
- ख) संस्था के आय-व्यय का ब्यौरा तैयार करना एवं उसे सचिव द्वारा बैठक में प्रस्तुत करना।
- ग) संस्था के सामाग्रियों को सचिव की राय से क्रय-विक्रय करना।
- घ) सदस्यों / गैर सदस्यों से संस्था के नाम पर मिलने वाली राशि को पंजी में अंकित करना।
- च) संस्था के आय-व्यय का अंकक्षण कराना।
- छ) आकस्मिक खर्च के लिए अपने पास 5000 /-- रुपये तक की राशि रखना, जिसे खर्चोपरान्त अगली बैठक में इसका अनुमोदन करा लेना।

8. आय का साधन :

- क) सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क।
- ख) सदस्य या किसी व्यक्ति से दान, अनुदान एवं अंशदान।
- ग) सांस्कृतिक कार्यक्रम से।
- घ) संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं के क्रय-विक्रय से।
- च) सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं के अनुदान, अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त कर।

9. कोष का संचालन :

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में संस्था के नाम जमा की जायेगी, जिसका संचालन अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

10. आम सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :

ग) अंकेक्षक की नियुक्ति करना।

घ) अध्यक्ष की राय से अन्य विषय पर विचार करना।

11. कोरम :

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

12. बैठक :

क) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर होगी।

ख) आम सभा की साधारण बैठक प्रत्येक वर्ष अप्रील माह में होगी।

ग) कार्यकारिणी समिति की आवश्यक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।

घ) आम सभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।

13. प्रार्थित बैठक :

3/5 सदस्यों की लिखित मांग पर आवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर सचिव को बैठक बुलाना होगा। आवेदन पत्र में विचारणीय विषय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अगर सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक नहीं बुलाते हैं तो आवेदकों को अधिकार होगा कि आवेदन में उल्लिखित विषय के निर्णय हेतु उक्त अवधि के उपरान्त बैठक का आयोजन कर सकते हैं।

14. बैठक की सूचना :

क) कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जायेगी।

ख) आम सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी।

ग) आम सभा की आवश्यक बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जायेगी।

घ) कार्यकारिणी समिति की आवश्यक बैठक की सूचना 48 घंटे पूर्व दी जायेगी।

ड.) बैठक की सूचना -- सूचना पंजी में हस्ताक्षर कर डाक या विशेष दूत द्वारा दी जायेगी।

15. निधि का अंकेक्षण :

क) संस्था की आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जायेगा तथा आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराया जायेगा।

ख) निबधन, महानिरीक्षक, बिहार अपने विवेक से जब भी चाहे संस्था का अंकेक्षण किसी

ज शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

16. पंजी का निरीक्षण :

संस्था के सभी पंजियां संस्था के निबंधित कार्यालय में रहेगी जहां कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं।

17. नियमावली में संशोधन :

नियमावली में कोई भी संशोधन आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा पारित करने पर ही किया जायेगा।

18. कानूनी कार्रवाई :

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति की राय से की जायेगी।

19. विघटन :

क) संस्था का विघटन अगर किसी कारणवश करना पड़े तो आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा।

ख) विघटन के उपरान्त ऋण इत्यादि भुगतान के बाद जो चल या अचल सम्पत्ति बचेगी वह किसी अन्य सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी, बल्कि आमसभा के 3/5 सदस्यों की सहमति से किसी समान उद्देश्यवाली दूसरी संस्था या सरकार को दे दी जायेगी।

ग) विघटन के संबंध में यह संस्था निबंधन अधिनियम 21/1860 की धारा-13 का पूर्णतः अनुपालन करेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि यह संशोधित नियमावली की सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

सचिव

31/12/11

संशोधित कार्यकारिणी की सूची

सीमांचल तकनीकी एवं शैक्षणिक विकास संस्था
प्रभात कॉलोनी वार्ड न०- 22/32 पूर्णियाँ, बिहार, पिन- 854301

वर्तमान कार्यकारिणी की सूची :-

क्रमांक	नाम, पिता / पति का नाम	पता	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	पद
1.	श्री प्रदीप कुमार रॉवर्ट पिता-स्व० चरण दास	द्वारा-सत्यभामा सहाय, "स्नातक" नवरतन हाता, जिला-पूर्णियाँ।	(बोटनी)	शिक्षण कार्य	अध्यक्ष
2.	श्री मनोज कुमार पिता-श्री कामेश्वर पोद्दार	ग्राम एवं पो०-बरेटा, जिला-कटिहार।	बी० ए० (प्रतिष्ठा)	कार्य	उपाध्यक्ष
3.	श्री उदय शंकर प्रसाद सिंह मु० प्रभात कॉलोनी, पिता-श्री जयजयराम सिंह	पो० जिला-पूर्णियाँ	एम० कॉम०	शिक्षण कार्य	सचिव
4.	श्री रत्नेश कुमार झा पिता-स्व० देवेन्द्र झा	मु०-रामबाग, पो०-पूर्णियाँ जिला-पूर्णियाँ।	एम० कॉम०	शिक्षण कार्य	उप सचिव
5.	श्रीमति श्वेता कुमारी पति-श्री सूरज चौधरी	मु०-अमलाटोला पो०- मधुबनी जिला-पूर्णियाँ।	स्नातक	शिक्षण कार्य	कोषाध्यक्ष
6.	डा० छोटे लाल बहरदार पिता-स्व० शान्ति बहरदार	मु०-ततमा टोली पो०-भठ्ठा बाजार, जिला-पूर्णियाँ।	स्नातक	शिक्षण कार्य	सदस्य
7.	मो० मुमताज आलम पिता-मो० शमशाद आलम	मु०-लाईन बाजार, पो० जिला-पूर्णियाँ।	एम० ए०	शिक्षण कार्य	सदस्य
8.	श्री भुवनेश्वर मोदी पिता-स्व० कोकाय मोदी	मु०- प्रभात कॉलोनी, पो० जिला-पूर्णियाँ।	बी० एस० सी०	निजी कार्य	सदस्य
9.	श्री मनोज कुमार पिता-स्व० विन्देश्वरी प्र० यादव	ग्राम-बाबूबरही पो०-दालिग्रामी, जिला-बेगूसराय	बी० एस० सी०	अभियंता	सदस्य

सचिव

SIMANCHAL TECHNICAL & EDUCATIONAL
DEVELOPMENT INSTITUTIONS
सीमांचल तकनीकी एवं शैक्षणिक विकास संस्था
प्रभात कॉलोनी, पूर्णियाँ (बिहार)

निबंधन महानिरीक्षक, बिहार का कार्यालय, बिहार, पटना ।

निबंधित संस्था में लाए गए संशोधन को.

अभिलिखित करने का प्रमाण पत्र

सीमांचल तकनीकी एवं शैक्षणिक विकास संस्था

के संबंध में

(संस्था का अद्यतन नाम)

प्रमाणित किया जाता है कि संस्था द्वारा दाखिल निम्नलिखित आलेख्य संस्था निबंधन अधिनियम-21, 1860 के उपबंध के अनुसार अभिलिखित किया जाता है ।

संस्था के नाम परिवर्तन की सूचना / (पूर्व नाम सीमांचल तकनीकी एवं शैक्षणिक विकास संस्था) निबंधन संख्या 96/2006-07 वर्ष, परिवर्तन

नाम पता परिवर्तन की सूचना)

पूर्व पता प्रभात कॉलोनी, नई 10 - 22, पूर्णियाँ (बिहार)

परिवर्तित पता

.....) / संशोधित स्मृति -पत्र (नया कार्यसूचन एवं नई कार्यकारिणी, नए उद्देश्य के साथ) / संशोधित नियमावली (नया नाम के साथ) / आम सभा के दिनांक 24.11.10 एवं दिनांक 31.12.10 के प्रस्ताव की सच्ची प्रतिलिपि ।

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सचिव, सीमांचल तकनीकी एवं शैक्षणिक विकास संस्था
प्रभात कॉलोनी, नई 10 - 22
पूर्णियाँ (बिहार)

अग्रसारित ।

को उनके आवेदन / पत्रांक 12/10 दिनांक 23.3.11 के प्रसंग में

कृपया प्राप्ति की सूचना दें ।

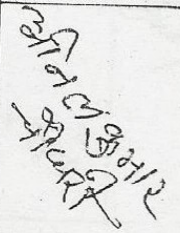
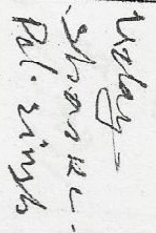
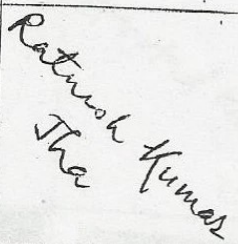
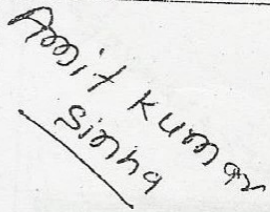
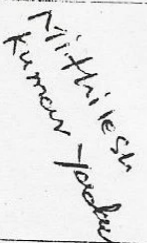
वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना ।

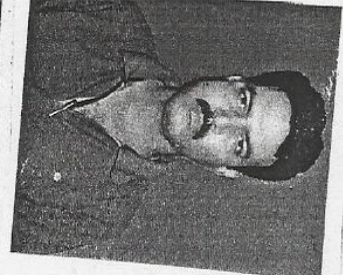
सचिव

SIMANCHAL TECHNICAL & EDUCATIONAL
DEVELOPMENT INSTITUTIONS

सीमांचल तकनीकी एवं शैक्षणिक विकास संस्था
प्रभात कॉलोनी, पूर्णियाँ (बिहार)

संशोधित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सूची

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	हस्ताक्षर	फोटो
1	अनिल कुमार चौधरी	नाथो प्र० चौधरी	गा०+पो०-परोरा, थाना-के०नगर, जिला-पूर्णिमा	अध्यक्ष	समाज सेवा		
2	उदय शंकर प्र० सिंह	जय जय राम सिंह	मु०-प्रभात कॉलोनी, पो०-पूर्णिमा, थाना-के० हाट जिला-पूर्णिमा	सचिव	समाज सेवा		
3	रत्नेश कुमार झा	देवेन्द्र झा	मु०-रामबाग, पो०-पूर्णिमा, थाना-सदर, जिला-पूर्णिमा	उपसचिव	समाज सेवा		
4	अमित कुमार सिन्हा	सुबोध कुमार सिन्हा	मु०-अमला टोला मधुबनी, पो०-पूर्णिमा, थाना-के०हाट, जिला-पूर्णिमा	कोषाध्यक्ष	समाज सेवा		
5	मिथिलेश कुमार यादव	दुखमोचन यादव	ग्राम+पो०-चौदपुर थाना-फलका जिला-कटिहार	सदस्य	समाज सेवा		

सूरज कुमार चौधरी	माधवेन्द्र ना0 चौधरी	मु0-अमला टीला मधुबनी, पो0-पूर्णिछाँ आना-के0हाट, जिला-पूर्णिछाँ	कानूनी सलाहकार	अधिवक्ता	
दीपक कुमार झा	रमेश चन्द्र झा	ग्राम+पो0-खेरिया, आना-कुर्सेला, जिला-कटिहार	परियोजना निदेशक	समाज सेवा	
अरविन्द कुमार कंठ	अमरनाथ कंठ	मु0-वसंत विहार कोशी कॉलोनी, पो0-पूर्णिछाँ, आना-के0 हाट, जिला-पूर्णिछाँ	सदस्य	समाज सेवा	
जगन्नाथ झा	सूर्यानन्द झा	ग्राम-कोतहपुर, पो0-दमड़ा, आना-कुर्सेकोटा, जिला-अररिया	सदस्य	शिक्षण	

Suresh Kumar

Deepak Kumar

Arvind Kumar

Jagannath Jha